



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलुरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. : 1388 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1388**

**विषय / Sub: एयरक्रॉफ्ट अरेस्टर बैरियर सिस्टम, 20.4 टन**  
**Aircraft Arrester Barrier System, 20.4 Tons**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स एरियल डेलिवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसटेबलिशमेंट(एडीआरडीई), डी आर डी ओ, पी बी सं. 51, स्टेशन रोड, आगरा कंटोन्मेंट 282 001, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "एयरक्रॉफ्ट अरेस्टर बैरियर सिस्टम, 20.4 टन" पार्ट सं. एएएस-00-000(सी), को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1388, दिनांक 07 जनवरी 2009, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1388 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2013 तक था।

*This is to state that the "Aircraft Arrester Barrier System, 20.4 Tons" bearing the Part Number: AAS-00-000(c), designed, developed and manufactured by Aerial Delivery Research & Development Establishment (ADRDE), DRDO, PB NO.: 51, Station Road, Agra Cantonment 282 001 was issued with Type Approval Number: 1388 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA -1388, dated: 07<sup>th</sup> January 2009 with its validity up to 31<sup>st</sup> December 2013.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्तूबर 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (कानपुर), द्वारा एचएएल, पी.ओ. चकेरी, कानपुर -208 008, से अनुरोध करना होगा।



*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> October 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> September 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Kanpur), CEMILAC, C/O HAL, P.O: Chakeri, Kanpur – 208 008, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1388, दिनांक 07 जनवरी 2009 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC / 5070/TA-1388, dated: 07<sup>th</sup> January 2009 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

*All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.*

सं. / No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए /TA-1388/1R  
दिनांक / Date : 20 October 2017  
फैक्स सं./ Fax No: 080 – 25230856

*Primal*  
पी जयपाल / P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)

*K. J. 18/10*  
*J.R. 20/10*